जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/82 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 11 जून 2021

रघुवीर रीत सदा चली आयी। प्राण जाए पर वचन न जायी।

जेडीए के सीसीई श्री रघुवीर सैनी के आदेश पर प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को करनी पड़ी अवैध बिल्डिंग को सील!!!

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध बिल्डिंग को किया सील|

मालवीय नगर में अवैध निर्माण करने पर दो मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग सील की

सील की गई अवैध बिल्डिंग

जयपुर | जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने मालवीय नगर स्थित प्रधान मार्ग पर अवैध निर्माण करने के मामले बिल्डिंग सील की है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-1 में दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग पर भूखंड संख्या 3 व 4 को सयुंक्त कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बायलॉज उल्लंघन किया जा रहा था। 2 मंजिला अवैध बिल्डिंग में व्यावसायिक-रेस्टोरेंट के लिए निर्माणाधीन ढांचे को प्रवर्तन दस्ते की टीम ने सील कर दिया। इंजीनियरिंग शाखा से ईंटों की दीवार चुनकर व ताले-सील लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में बिल्डिंग को सील किया।

जेडीए की कार्रवाई

दो मंजिला व्यावसायिक भवन को किया सील

जयपुर @ **पत्रिका.** जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को मालवीय नगर के प्रधान मार्ग पर कार्रवाई की। यहां बिना जेडीए की अनुमति के शून्य सैट बैक पर व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था। दो मंजिला अवैध व्यावसायिक रेस्टोरेंट पर सील लगा दी गई।

प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी बताया कि प्रधान मार्ग स्थित दुर्ग विहार के भूखंड संख्या तीन और चार में निर्माण किया जा रहा था। भूखंडों सयुंक्त कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में कोरोनाकाल में निर्माण कार्य तेज कर लिया था। स्थानीय लोगों की भी शिकायतें थीं। निर्माण कार्य रोकने का नोटिस भी दिया था। लेकिन निर्माणकर्ता निर्माण करवाता रहा। कार्रवाई में दौरान प्रवेश द्वारों पर दीवारें खड़ीं कर दीं।

राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर मे प्रकाशित खबरों से साभार

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बनी अवैध दुकानों का था मामला!

जे.डी.ए. के ज़ोन-1 में स्थित आवासीय भूखंडो 3,4 दुर्गा विहार,प्रधान मार्ग,मालवीय नगर पर बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए अवैध दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा था|जिसकी शिकायत होने पर जे.डी.ए. द्वारा 07/04/2021 को अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी को धारा 32 का नोटिस दिया गया|इस नोटिस के तहत अवैध निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण हटवाने अथवा अपनी आपत्ति नोटिस प्राप्ति के 3 दिवसों में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए |परन्तु अवैध निर्माणकर्ता श्री वासुदेव गंगवानी द्वारा जवाब देने की बजाय अधुरा निर्माणकार्य द्रुत गति से चला दिया|तुरत-फुरत मे इन दुकानों के शटर चढ़ा दिए गए और रातोरात इसका निर्माण भी पूर्ण करवा लिया गया|

मामला जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के संज्ञान मे आने के बाद ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान सिंह को देने पड़े नोटिस और करना पड़ा इस अवैध बिल्डिंग को सील|

ज्ञातवय हो कि ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी के संज्ञान मे होने के बावजूद एवं स्थानीय लोगो की तमाम शिकायतों को दरकिनार करते हुए इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण बदस्तूर किया जा रहा था|इस बिल्डिंग का मालिक शहर का ही एक प्रमुख व्यवसायी अशोक गंगवानी है,जिसका WTP मे दुबई बाजार के नाम से मार्केट संचालित है|अपने रसूखातों के दम पर उसे गुमान था कि वह इस अवैध बिल्डिंग को खड़ा कर लेगा,इसके लिए उसने कई मीडिया के चमचे भी पाल रखे थे,जो अपने आप को मीडियाकर्मी होने की धोंस देकर,शिकायतकर्ता को धमकाने का काम करते थे|लेकिन जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के सामने इनकी एक ना चली|श्री सैनी के संज्ञान मे आने के बाद ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान सिंह को नोटिस देने पड़े और इस अवैध बिल्डिंग को सील करना पड़ा|

अवैध बिल्डिंग को बचाने के लिए लगाया सत्संग हॉल और योगा सेंटर का बोर्ड

आपको प्राय अखबारों मे पढ़ा होगा कि किस प्रकार गैरकानूनी बिल्डिंग को बचाने के लिए लोग धर्म की ओड़ लेते है|ऐसी खबरों को इस बिल्डिंग के मालिक ने साक्षात कर दिया|इस बिल्डिंग को बचाने के लिए भी इस बिल्डिंग के मालिक अशोक गंगवानी ने सत्संग हॉल और योगा सेंटर का बोर्ड लगा दिया था|जिससे लोगो की आस्था इस बिल्डिंग मे बन जाए और समय आने पर इस आस्था के ज्वार को भुनाया जा सके|लेकिन अवैध निर्माणकर्ता का यह सब नाटक जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के सामने चल ना सका और तमाम दबावों के बावजूद उन्होने ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को इस अवैध बिल्डिंग को सील करने के आदेश जारी कर दिये|

यदि यह मामला रघुवीर सैनी के संज्ञान मे नहीं आता तो कब का चालू हो चुका होता इस अवैध बिल्डिंग मे कोई शोरूम!!!

जवाब मांगते सवाल??

- आखिर किसकी शह पर बन कर खड़ा हो गया यह अवैध शो रूम/सत्संग हॉल?
- क्या इस अवैध बिल्डिंग के लिए जिम्मेदार ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?
- क्या ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान के क्षेत्र मे बन रही अन्य अवैध बिल्डिंगों की जांच कारवाई जायेगी?
- ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान की ज़ोन - 1 मे नियुक्ति के बाद इस ज़ोन मे कितनी अवैध निर्माणों की शिकायते आई?
- उनमे से कितनी शिकायतों को परीक्षण के लिए ज़ोन कार्यालय मे भिजवाया गया?
- उनमे से कितनी शिकायतों पर ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया?
- उनमे से कितनी शिकायतों पर ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान द्वारा जेडीए एक्ट की धारा 32,33,34 के तहत नोटिस जारी किए गए?
- उनमे से कितने अवैध निर्माणों को सील किया गया?
- बाईजी कोठी स्थित सरकारी जमीन पर से कब अवैध निर्माण हटाएँगे श्री उदयभान?